राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./6095/2003/नागौर

1– मदन पुत्र मोहन जाति बलाई
2– नरसी पुत्र मोहन जाति बलाई
3– श्रवण पुत्र पूराराम जाति बलाई
4– बोदू पुत्र पूराराम जाति बलाई
5– बिरमा पुत्र पूराराम जाति बलाई
6– धूली बाई पत्नि सावंता जाति बलाई
7– रामलाल पुत्र सावंता जाति बलाई
8– जेठूराम पुत्र सावंता जाति बलाई
9– मूलाराम पुत्र सावंता जाति बलाई
10– कमला पुत्री सावंता जाति बलाई
11– सुगना पुत्री सावंता जाति बलाई
समस्त निवासी दिलाढाणी, तहसील परबतसर, जिला नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गुमान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत
2– माधो सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत
3– धीसूसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत
4– नरपतसिंह पुत्र चतर सिंह जाति राजपूत
समस्त निवासी दिलाढाणी, तहसील परबतसर, जिला नागौर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दिलीप सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 3.1.2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 70/2000 शीर्षक 'मदन बनाम गुमान सिंह' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम दिलाढाणी तहसील परबतर, जिला नागौर खसरा नम्बर 65 रकबा 25.11 बीघा में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अंकित है और वादीगण इस पर काबिज हो कर काश्त करते आ रहे हैं। प्रश्नगत भूमि की गिरदावरी भी सम्वत् 2009 लगायत 2020 तक वादीगण के ही नाम से है। सम्वत् 2031–33 की गिरदावरी में भी वादीगण का ही नाम है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण सावंता, मोहना, पूरा द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में

घोषणा, कब्जा दिलाए जाने हेतु वाद दायर किया गया था, इससे भी वादीगण के कब्जे की पुष्टि होती है। बिनाय दावा दिनांक 1–7–1992 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखली की धमकी देने पर हुआ है, अतः दावा वादी डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने निर्णय दिनांक 30–5–2000 से वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत जाते हुये पूर्णतया विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। वादी/रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 से 6/अपीलार्थी संख्या 3 लगायत 5 को वाद के सम्मन प्राप्त हो गए थे किन्तु अन्य प्रतिवादी/अपीलार्थीगण को वाद के सम्मन जारी नहीं किए गए थे। अपीलार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से जबाबदावा इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया था कि सभी प्रतिवादीगण की तामील होने पर जबाब प्रस्तुत कर देंगे। प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 30. 5.2000 तक सम्मन तामील नहीं हुये और दिनांक 23.5.2000 को प्रतिवादी/अपीलार्थी का जबाबदावा बन्द कर वास्ते बहस दिनांक 30.5. 2000 नियत कर दी गई। इस प्रकार से परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से अपीलार्थीगण का जबाबदावा बन्द कर साक्ष्य व सुनाई का विधिक अवसर प्रदान नहीं किया है। प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या–2 को वादपत्र में कुदरवती वली प्रतिवादी संख्या–1 दर्शाया गया है जब कि अपीलार्थी संख्या–1 केवल उसका भाई है। न्यायालय को आदेश 32 सी0पी0सी0 के तहत संरक्षक नियुक्त कर कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। आदेश दिनांक 23.5.2000 के द्वारा यह मानते हुये कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 का हित एक है, अपीलार्थी संख्या–2 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की है, अतः यह पूर्णतया न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। परीक्षण न्यायालय ने वादीगण/रैस्पो0 की किसी प्रकार की साक्ष्य लेए बिना ही वाद को डिक्री किया है जो कि आदेश 17 नियम 2, सी0पी0सी0 के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात को भी प्रदर्श नहीं कराया गया है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने स्पष्ट रुप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 4(2) की अवहेलना में निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए।

5– रैस्पो0/वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी रैस्पो0/वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और अपीलार्थीगण का इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने विधिवत रुप से राजस्व रिकार्ड के आधार पर परीक्षण करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं किन्तु उनके द्वारा वाद में जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है, अतः इस प्रकार की स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से वादी के वाद को डिक्री किया है। प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को तामील नहीं होने का जो आक्षेप लिा गया है वह इस द्वितीय अपील के स्तर पर संधारण योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय

में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक रुप से परीक्षण करते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है। नाबालिग का बिन्दु एक तकनीकी बिन्दु है और अब प्रतिवादी संख्या–2 बालिग हो चुका है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं और समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि वादी/रैस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष प्रतिवादी/वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध जो वादपत्र दिनांक 13.7.1992 को प्रस्तुत किया गया उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2/वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के वादी पक्ष की ओर से दिनांक 11.8.1998 तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किए गए और दिनांक 11.8.1998 को न्यायालय द्वारा इस हेतु वादी पक्ष को निर्देश प्रदान किए गए, जो कि न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.8.1998 से निम्नानुसार स्पष्ट है :–

> **11.8.98** बकुलाय उप0। वकील वादी को प्रतिवादी नं. 1 व 2 के सम्मन PF पेश करने हेतु दिनांक 19.7.93 से आज तक बराबर–2 अवसर के उपरान्त भी पेश नहीं किया, तथा न ही नकल वाद वकली प्रतिवादी को दी है। अतः आज ही नकल देवें तथा सम्मन PF प्रतिवादी न।. 1 व 2 के पेश करें, पेश होने पर जारी हो। यह अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 5.10.98 को पेश हो।

आगामी पेशी दिनांक 5.10.1998 को भी यह कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई और आगामी पेशी दिनांक 14.12.1998 को पुनः निर्देश दिए गए जो निम्नानुसार स्पष्ट है :–

> **14.12.98** बकुलाय उप0। वकील वादी पूर्व आदेश दिनांक 11. 8.98 की पालना हेतु अंतिम अवसर चाहा, दिया जा कर, पत्रावली दिनांक 22.3.99 को पेश हो।

दिनांक 22.3.199 को भी न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई जिससे दिनांक 18.5.1999 को पुनः निर्देश दिए गए। इसके उपरान्त करीब 4 पेशियां और दी गई और उन पेशियों पर भी उक्त निर्देशों की पालना हुए बिना ही, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सम्मन जारी किए बिना ही दिनांक 23.5.2000 को निम्न प्रकार से आदेशिका अंकित की गईः–

> **23.5.2000** बकुलाय उप0। वकील प्रतिवादी ने आज तक जबाबदावा पेश नहीं किया है, अतः जबाबदावा बन्द किया जाता है। प्रतिवादी नं.2 नरसी नाबालिग है, जिसका कुदरती बली प्रति. नं.1 मदन है, जिनको बार–2 तलब के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली आईन्दा वास्ते बहस व निर्णय दिनांक 30.5.2000 को पेश हो।

उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को किसी प्रकार के सम्मन जारी किए बिना ही, न्याय के नैसर्गिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये प्रकरण में इकतरफा में दिनांक

30.5.2000 को बहस सुनी जा कर दिनांक 30.5.2000 को ही निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि न्याय के प्रावधानों के विपरीत है। प्रकरण में परीक्षण पर ये भी पाया जाता है कि है। प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या–2 को वादपत्र में कुदरवती वली प्रतिवादी संख्या–1 दर्शाया गया है, जो कि प्रतिवादी संख्या–1 प्रतिवादी संख्या–2 का भाई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को अवयस्क के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना चाहिए, किन्तु इस बिन्दु पर परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कुछ भी अंकित नहीं किया है, जो कि आवश्यक था। स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से किसी प्रकार का जबाबदावा रिकार्ड पर नहीं आ पाया है और जबाबदावा व साक्ष्य रिकार्ड पर आये बिना ही, किसी प्रकार के विवाद्यक कायम किए बिना ही परीक्षण न्यायालय ने वादी के वाद को डिक्री कर दिया है और प्रतिवादीगण सावंता, मोहना, पूरा द्वारा पूर्व में घोषणा, कब्जा दिलाए जाने हेतु जो वाद प्रस्तुत करना बताया है उसके सम्बन्ध में भी कोई विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है, अतः परीक्षण न्यायालय के स्तर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 4(2) एवं आदेश 20 नियम (5) की स्पष्ट अनुपालना नहीं की गई है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की पालना किए बिना ही अपना निर्णय पारित किया है। अतः अतः अपील अपालीथी सारवान पाए जाने से **स्वीकार** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–05–2000 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, परबतसर को **प्रति प्रेषित** करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का न्यायोचित अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 4(2) एवं आदेश 20 नियम (5) की अनुपालना करते हुये विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य